न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी – *बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस.*

आर्म्स अपील संख्याः– 02/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरूलाल, उम्र–30 वर्ष, जाति ओड, निवासी गांव सिरोडी तहसील रेवदर, पुलिस थाना अनादरा, जिला सिरोही।		राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स अधिनियम 1959, विरूद्ध आदेश दिनांक 23.08.2011 व दिनांक 21.02.2018 जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र 12 बोर गन (रिवोल्वर/पिस्टल) निरस्त कर दिया गया।"

उपस्थितिः––

1. श्री भरतसिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः 17 जून, 2019

प्रस्तुत आर्म्स अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र 12 बोर गन (रिवोल्वर/पिस्टल) के लिए जारी करने बाबत जिला कलेक्टर सिरोही (रेस्पोडेन्ट) के समक्ष पेश कर निवेदन किया है कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य होकर शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्त करने बाबत वांछित दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि वह अच्छी हैसियत रखते हुये उसका चरित्र उत्तम है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा उसके नाम उचित मूल्य की दुकान व अन्य निजी ठेकेदारी का काम आस पास के क्षेत्र मे करता है। अतः इन स्थानो पर आवेदक को सार संभाल हेतु आना जाना पड़ता है। उसके पास ठेके से प्राप्त राशि व उचित मूल्य की दुकान की जमा पूंजी रहती है साथ ही आवेदक के पास पूर्व मे एक टोपीदार गन का लाईसेंस है, जो कि बड़ा हथियार होने से

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

लाने ले जाने मे असुविधा के कारण छोटा हथियार एम.पी. बोर/पिस्टल/रिवोल्वर जान माल (आत्म रक्षा) की सुरक्षा हेतु चाहता है। अतः आवेदक को एम.पी. बोर/पिस्टल/रिवॉल्वर का नवीन हथियार लाईसेस जारी करने का निवेदन किया।

यह है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर श्रीमान जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रार्थी की सम्पूर्ण रिकार्ड की जांच करवाई गई जिससे उसके विरूद्ध एक मुकदमा ई.सी. एक्ट मे दर्ज होकर श्रीमान सी.जे.एम. न्यायालय सिरोही के द्वारा दिनांक 14.08.2009 को दोषमुक्त किया गया। इसके अलावा पुलिस थाना अनादरा की रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का आपराधिक विकार नही होना पाया गया तथा साथ ही सी.आई.डी., सी.बी. व राजस्व विभाग की रिपोर्ट भी सकारात्मक होते हुये भी टोपीदार गन पहले से होने के कारण दूसरा लाईसेंस जारी नही करने की अनुशंषा की, इससे व्यथित होकर अपीलान्ट उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

यह है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने आर्म्स अधिनियम के प्रावधानो को नजर अन्दाज करते हुये पारित कर दिया है, ऐसी स्थिति मे अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नये सिरे से जारी नही करना न्याय सिद्वान्तो के विपरित है इसके अलावा अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है एवं न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण आदि चाहा गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विधि के सुस्थापित प्रावधानो के विरूद्ध यह आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नही होने से अपास्त योग्य है।

अपीलान्ट ने अपने नये लाईसेन्स प्राप्त करने के आवेदन मे यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसे पूर्व मे प्राप्त लाईसेंस जो एम एल गन आकार मे काफी

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर
डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

बडी है तथा उसे अपने व्यवसाय से प्राप्त रूपये के कलेक्शन एवं स्वयं की आत्म रक्षा तथा लूटपाट से बचाव के लिये छोटे हथियार का लाईसेंस आवश्यक है। इस बात को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवेचन किये आवेदन खारिज किया है। उसको अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाये।

यह है कि अपीलाण्ट का चरित्र व आचरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करवाई गई जांच मे अच्छा आया है। उसके विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक मामला दर्ज होकर उसमे बरी हो चुका है तथा न ही उसका गैर कानूनी गतिविधियो मे सम्मिलित होना पाया गया है। पुलिस अधीक्षक सिरोही द्वारा गहन जांच मे यह तथ्य स्पष्ट रूप से आया है कि आवेदन के स्वयं के नाम की एक उचित मूल्य की दुकान व ठेकेदारी फर्म मे भागीदारी होने से उसे सार सम्भाल हेतु आना जाना पडता है। साथ ही आवेदक के पास पूर्व से एम एल गन का लाईसेन्स है जो कि बडा हथियार होने से साथ मे लाने, ले जाने मे असुविधा के कारण छोटा हथियार एन.पी. बोर/पिस्टल/रिवॉल्वर जान माल की सुरक्षा हेतु रखना चाहता है। अतः आवेदक को एन.पी.बोर पिस्टल/रिवाल्वर नवीन हथियार लाईसेंस जारी किया जाता है तो कार्यालय को कोई आपत्ति नही होनी चाहिये तथा वह पूर्व का जारी लाईसेंस सरेण्डर करने को तैयार है। इसके साथ ही तहसीलदार सिरोही व C.I.D. C.B. जोधपुर व संबंधित थाना, सभी की रिपोर्ट सकारात्मक आई है लेकिन केवल यह टिप्पणी की गई है कि एम.एल गन का लाईसेंस पहले से ही होने के कारण दूसरा लाईसेंस दिया जाना आवश्यक नही है। अतः आपका आवेदन पत्र संचित कर दिया जाता है। यह आदेश एक दम दुर्भावना पूर्ण व मनमाना है। आर्म्स अधिनियम मे ऐसा कोई प्रावधान नही है कि पूर्व मे प्राप्त लाईसेंसधारी, दूसरा लाईसेंस नही रख सकता है। आर्म्स नियमो मे

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ तीन हथियार रख सकता है। अतः आर्म्स नियमो की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य होने अपास्त फरवाया जावे।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2011 व 21.02.2018 को निरस्त फरमाया जाकर 12 बोर गन (रिवोल्वर/पिस्टल) क्रय करने व हथियार लाईसेन्स जारी करने का आवेदन स्वीकार किया जाए।

हमने अपीलान्ट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट के पास उचित मूल्य की दुकान व अन्य निजी ठेकेदारी का काम आस पास के क्षेत्र मे करता है। अतः इन स्थानो पर आवेदक को सार संभाल हेतु आना जाना पड़ता है। उसके पास ठेके से प्राप्त राशि व उचित मूल्य की दुकान की जमा पूंजी रहती है साथ ही आवेदक के पास पूर्व मे एक टोपीदार गन का लाईसेंस है, जो कि बड़ा हथियार होने से लाने ले जाने मे असुविधा के कारण छोटा हथियार एम.पी. बोर/पिस्टल/रिवोल्वर जान माल (आत्म रक्षा) की सुरक्षा हेतु चाहता है। तहसीलदार सिरोही व C.I.D. C.B. जोधपुर व संबंधित थाना, सभी की रिपोर्ट सकारात्मक आई है लेकिन केवल यह टिप्पणी की गई है कि एम. एल गन का लाईसेंस पहले से ही होने के कारण दूसरा लाईसेंस दिया जाना आवश्यक नही है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही ने प्राप्त रिपोर्ट, के आधार एवं प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न जान माल की सुरक्षा के संबंध मे कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है, जिससे की ग्यात हो की

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

अपीलान्ट को किस प्रकार का खतरा (Threat perception) है। इसी दृष्टिकोण को एवं आर्म्स अधिनियम मे दिये गये प्रावधानो, शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने संबंधी राज्य/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को मध्यनजर रखते अपीलान्ट को दूसरा लाईसेंस दिया जाना आवश्यक नही मानते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह उचित है। मै अपीलाधीन आदेश से सहमत हूँ, इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट खारीज की जाती हैं तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक दिनांक 23.08.2011 व दिनांक 21.02.2018 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 17 जून, .2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर